राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 100, 101, 102 एवं 103/2014.....जिला–कोटा ।

उनवान– मैसर्स सनवे कन्सट्रक्शन, कोटा बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन कोटा ।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2014	खण्डपीठ श्री मदन लाल, सदस्य श्री अतुल शर्मा, सदस्य उक्त विविध प्रार्थना पत्र, व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) के प्रकरण अपील संख्या 1721, 1722, 1723 एवं 1724 /2013/कोटा मैसर्स सनवे कन्सट्रक्शन, कोटा बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, कोटा निर्णय दिनांक 24.09.2013 के संबंध में प्रस्तुत कर, वसूली पर रोक आदेश की समयावधि व अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रकरणों के निस्तारण हेतु दी गयी समयावधि को तीन माह बढ़ाने हेतु निवेदन किया गया है । व्यवहारी की ओर से श्री विनोद कुमार व राजस्व की ओर से श्री ओमप्रकाश, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (रिवीजन), अजमेर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर बहस हेतु दिनांक 21.08.2014 को उपस्थित हुये। उक्त प्रार्थना पत्रों के संबंध में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि उपर्युक्त प्रकरण प्रवेश कर से संबंधित हैं एवम् प्रवेश कर, अधिनियम की वैधता माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णयार्थ हेतु विचाराधीन है। अतः प्रकरणों में विधिक बिन्दु अन्तर्वलित होने के कारण अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरणों का निस्तारण नहीं किया गया है । अतः प्रकरणों में माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय दिनांक 21.11.2013 को दिये गये वसूली पर रोक आदेश की समयावधि व प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रदान की गयी समयावधि बढ़ाने की प्रार्थना की गयी। राजस्व की ओर से श्री ओमप्रकाश, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (रिवीजन), अजमेर द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं प्रकट की गयी । उभयपक्षीय बहस व अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों पर विचार करने के पश्चात्, न्यायहित में यह पीठ यह अनुभव करती है कि प्रकरणों के निस्तारण हेतु कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा निर्णय	

लगातार.....2

22.08.2014

दिनांक 21.11.2013 के जरिये पूर्व में रोक आदेश की समय सीमा व प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा को दिनांक 28.11.2014 तक बढ़ाया जाना उचित है। अतः वसूली रोक आदेश व अपील प्रकरणों के निस्तारण की समय सीमा दिनांक 28.11.2014 तक बढ़ायी जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(अतुल शर्मा)
सदस्य

22.8.2014
(मदन लाल)
सदस्य